

13.03.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जे०एन०मथुरिया(आर०ए०एस०)
आर.सी.एम.एस 2012 / 00130
अपील संख्या 74 / 2012 (225)
उनवान:- राजेन्द्र बनाम रेशम

वकुलाय फरीकेन उपस्थित बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अग्रिम बेचान पर पहले से ही रोक है एवं पुराने बेचान पर नये सिरे से स्थगन का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।